सौगात | विजयराघवगढ़ विधानसभा के बरही में आयोजित कृषि महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

नवभारत, कटनी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शनिवार 14 मार्च को बरही में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम में जिले को 243.22 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 180.37 करोड़ रुपए के 62 विकास कार्यों का लोकार्पण और 62.85 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री विकासखंड विजयराघवगढ़ के अंतर्गत 1.57 करोड़ की लागत से बने 33/11 केव्ही उपकेंद्र डोकरिया, 0.35 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत टीकर, ग्राम सिमरिया, 0.69 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत झिरिया, ग्राम झिरिया, 0.74 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत गौरहा, ग्राम राखी पुरैनी, 0.33 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत जिजनौड़ी, ग्राम जिजनौड़ी, 0.32 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत जिजनौड़ी ग्राम जटवाराखुर्द, 0.31 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत अमुवारी ग्राम खिरवा नंबर दो, 38.02 करोड़ के कारीतलाई सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मुख्य भवन, विजयराघवगढ़ में 2.89 करोड़ के 3 ट्रेड आईटीआई भवन और 8.49 करोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बरही का लोकार्पण करेंगे। इसी प्रकार विकासखंड कटनी के अंतर्गत 0.58 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पौंसरा ग्राम जमोडीटोला, 0.60 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत गैतरा ग्राम भरौली, 0.61 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पिपरौध ग्राम घुघरा, 0.47 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत केवलारी, ग्राम बिछिया, 1.47 करोड़ के शासकीय हाई स्कूल भवन हिरवारा, 6.18 करोड़ के वाणिज्यिक कर कार्यालय कटनी के भवन, 0.65 करोड़ के उपस्वास्थ्य केंद्र रैपुरा, 16.86 करोड़ के जिला अस्पताल में सीसीएचबी, 6.61 करोड़ के घंघरी कला से घंघरीखुर्द के मध्य अलोनी नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्च स्तरीय पुल, 64.19 करोड़ की लागत से बने बड़गांव करहिया गोदाना मोहास लालपुर पाली मार्ग का लोकार्पण करेंगे। जबकि विकासखंड बहोरीबंद के अंतर्गत 0.44 करोड की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत केवलराहा ग्राम हाथीभार, 0.69 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत केवलराहा, 0.37 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत सिमरापटी ग्राम कजरवारा, 1.21 करोड़ की लागत से बने जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पटोरी ग्राम पटोरी, 0.90 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पटोरी ग्राम मंगेला, 0.55 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पटोरी ग्राम रैपुरा, 1.06 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत सलैया प्यासी ग्राम सलैया प्यासी, 0.40 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत सिमरापटी ग्राम कजरवारा, 0.40 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पहरूआ ग्राम गुडीयापुरा, 0.36 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत पहरूआ ग्राम सुनाई, 0.51 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत मोहनिया ग्राम रामपुर, 3.06 करोड़ के बरतरा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में 01 नग जी टाइप एवं 01 नग एच टाइप आवास गृहों का एवं विकासखंड रीठी में 0.80 करोड़ के जल जीवन मिशन योजना ग्राम पंचायत धनौरा, 0.37 करोड़ के नवीन पंचायत भवन ग्राम पंचायत रैपुरा का लोकार्पण सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात देंगे।

गैस सिलेंडर संकट जारी, बढ़ी जमाखोरी, कालाबाजारी

एजेंसी सचांलकों ने शुरू किया आपदा में अवसर

नवभारत, कटनी। अमेरिका और इरान युद्ध के कारण गहराए गैस सिलेंडर संकट के बीच एजेंसी संचालकों ने आपदा में अवसर अपना लिया है। जमाखोरी के साथ ही कालाबाजारी शुरू कर दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह रोक दी गई है। इससे छोटे-बड़े होटल, चाय की दुकानें और रेस्तरां संकट में आ गए हैं। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को केवाईसी कराने में परेशानी हो रही है, जिससे जनता में आक्रोश है। हालांकि कलेक्टर ने स्थिति की जांच के आदेश दिए हैं। वाणिज्यिक सिलेंडरों की कमी ने स्थानीय व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। होटल संचालकों का कहना है कि उनका स्टॉक खत्म होने वाला है और नए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। छोटे होटल और चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उनके पास केवल दो-तीन दिन का बैकअप बचा है। यदि आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो उन्हें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों को वेतन देना और परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कमी की अफवाहों और युद्ध के डर के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि दो-तीन महीने पहले केवाईसी कराने के बावजूद उन्हें दोबारा केवाईसी कराने कहा जा रहा है।

एक नजर में
नगर निगम के उपयंत्रियों को दिए गए नए प्रभार

नवभारत, कटनी। नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से उपयंत्रियों के नए दायित्वों को सौपा है। जारी आदेश के अनुसार उपयंत्री पवन श्रीवास्तव को लोक निर्माण, भवन अनुज्ञा शाखा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक, वार्ड क्रमांक 22 से 26 तक के सभी तकनीकी कार्यों के लिए दायित्व सौंपा है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखित वार्डों के अंतर्गत सिविल, भवन अनुज्ञा, कालोनी सेल, स्थाई अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए एल-1 अधिकारी के साथ ही बस स्टैंड, स्वामी विवेकानंद सभागार जोन कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा है। इसके अलावा उपयंत्री जेपी सिंह बघेल, संजय मिश्रा के अवकाश और मुख्यालय से बाहर रहने पर वार्ड क्रमांक11 से 21 तक , वार्ड क्रमांक 27 से 29 तक के सभी तकनीकी कार्यों के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किया है। उपयंत्री जेपी सिंह बघेल को लोक निर्माण, भवन अनुज्ञा शाखा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 से 21 तक, वार्ड क्रमांक 30 से 33 तक के सभी तकनीकी कार्यों के लिए उपयंत्री के साथ ही सीएम हेल्पलाईन में उल्लेखित वार्डों के अंतर्गत सिविल, भवन अनुज्ञा, कालोनी सेल, स्थाई अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए एल-1 अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा दुर्गा चौक खिरहनी जोन कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उपयंत्री पवन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा के अवकाश से बाहर रहने पर लिंक अधिकारी वार्ड क्रमांक 1 से 10 तक, वार्ड क्रमांक 34 से 45 के सभी तकनीकी कार्यों लिंक अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार उपयंत्री संजय मिश्रा को लोक निर्माण, भवन अनुज्ञा शाखा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 से 29 तक, वार्ड क्रमांक 34 से 45 तक के समस्त तकनीकी कार्यों के लिए उपयंत्री, सीएम हेल्पलाईन में उल्लेखित वार्डों के अंतर्गत सिविल, भवन अनुज्ञा, कालोनी सेल, स्थाई अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के निराकरण के अधिकारी सहित प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

गुणवत्ता को ध्यान में रखकर समय पर पूरा करें कार्य

सीईओ ने किया प्रगतिरत जल संरचनाओं का निरीक्षण

नवभारत, ढीमरखेड़ा। जिले के ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा सीईओ यजुवेंद्र कोरी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटग़वां के ग्राम झुनकी, महनेर और झींरी में प्रगतिरत जल संरचनाओं तालाबों का आकस्मिक निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर सूचना पटल लगाते हुए निर्देशों के अनुसार समग्र वांछित जानकारी करने के निर्देश दिए। सीईओ ने बारिश के पानी को सहेजने और संरक्षित करने तालाबों को तकनीकी मानकों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। शासकीय प्राथमिक शाला झुनकी में मध्यानह भोजन कक्ष का निरीक्षण किया। जनपद पंचायत के सीईओ ने प्राचार्य और शैक्षणिक स्टाफ को निर्धारित मेन्यू के अनुसार स्वच्छता के साथ स्वादिष्ट भोजन और शुद्ध पेयजल छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहायक शिक्षक अतुल मेहरा अनुपस्थित पाए गए। जनपद पंचायत सीईओ ने कक्षा दूसरी और तीसरी के छात्रों से अध्यापन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने ग्राम पंचायत को स्कूल की बाउंड्री बनाने 15 दिन में वित्त से एस्टीमेट का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा सीईओ ने झुनकी गांव में चल जीवन मिशन के कार्यों और योजना परियोजना का आकस्मिक निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

मालगाड़ी हादसा स्थल का वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम ने किया निरीक्षण

हादसे के कारणों की अधिकारियों से ली गई जानकारी

नवभारत, कटनी। पिछले दिनों हुए मालगाड़ी हादसे को गंभीरता से लेते हुए रेलवे प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। इसी सिलसिले में पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक ने शुक्रवार को दुर्घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने हादसे के कारणों को लेकर मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर रिपोर्ट पेश की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इस दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा गठित विशेष जांच समिति के सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहे। जबलपुर मंडल के एडीआरएम आनंद कुमार ने बताया कि महाप्रबंधक का यह दौरा मुख्य रूप से नियमित निरीक्षण का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने विशेष प्राथमिकता के साथ मालगाड़ी हादसे वाले स्थल का जायजा लिया। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में हादसे की जांच एसएसई स्तर पर की जा रही है। वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। हादसे के तत्काल बाद युद्धस्तर पर किए गए मरम्मत कार्यों के कारण रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में इस रूट पर रेल यातायात पूरी तरह सुचारु है और सभी यात्री और मालगाड़ियां अपने निर्धारित समय से चल रही हैं। जांच के बाद हादसो के वास्तविक कारणों की जानकारी मिलेगी।

समितियों को बताया गया दस्तावेजीकरण और संधारण का महत्व

प्रस्फुटन समितियों का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण आयोजित

नवभारत, उमरियापान। जिले के विकासखंड बड़वारा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में नवांकुर संस्था अंचला ग्राम विकास समिति धनवारा द्वारा सेक्टर क्रमांक 02 भूड़सा अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन पथवारी में प्रस्फुटन समितियों के क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम सरपंच अमर राज सिंह, ग्राम पंचायत सचिव तिलक राज सिंह सोलंकी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता और मुख्य वक्ता के रूप में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की विकासखंड समन्वयक नंदिनी वाटिया उपस्थित रहीं। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में विकासखंड समन्वयक द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की अवधारणा, प्रस्फुटन कार्य योजना, उसके अंतर्गत संचालित गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही समितियों को दस्तावेजीकरण और अभिलेख संधारण के महत्व के संबंध में बताया। द्वितीय सत्र में नवांकुर संस्था अंचला ग्राम विकास समिति धनवारा के रघुवीर सिंह द्वारा प्रतिभागियों को जैविक खाद, जैविक कृषि और गैर-कीटनाशक दवाओं के उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। तृतीय सत्र में नवांकुर संस्था प्रमुख उजाला फाउंडेशन महगवां बरछेका के हरभगत सिंह ने नशा मुक्ति विषय पर बिंदुवार जानकारी देते हुए समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। प्रशिक्षण के चतुर्थ चरण में मेंटर्स दुर्गा प्रसाद केवट द्वारा समग्र ग्राम विकास विषय पर प्रकाश डालते हुए ग्राम स्तर पर जनसहभागिता से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही।

अवैध कब्जा नहीं हटाने पर कब्जेधारी को भेजा जेल

एसडीएम न्यायालय ने जारी किया आदेश

नवभारत, कटनी। न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाने वाले अतिक्रमणकारी के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे 15 दिन की सिविल जेल भेजने का आदेश दिया है। आदेश के बाद अतिक्रमणकारी को न्यायालय से ही पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद चतुर्वेदी ने तहसीलदार कटनी नगर के प्रस्ताव पर सुनवाई करते हुए रोशन विश्वकर्मा पिता नंदलाल विश्वकर्मा निवासी चांडक चौक, कटनी को 15 दिवस के लिए सिविल कारावास में भेजने का आदेश पारित किया। प्रकरण में जगदीश स्वामी मंदिर ट्रस्ट कमेटी कटनी के अध्यक्ष प्रमोद सरावगी निवासी दुबे कॉलोनी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत कब्जा दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने राजस्व प्रकरण के 21 मार्च 2024 को आदेश पारित कर ग्राम मुड़वारा स्थित भूमि खसरा नंबर 409, रकवा 0.081 हेक्टेयर के एक हिस्से पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का निर्देश दिया था। अतिक्रमणकारी द्वारा उक्त भूमि पर टीन शेड और कमरा बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था। तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकारी द्वारा दायर अपील को 22 अप्रैल 2024 को एसडीएम न्यायालय कटनी ने निरस्त कर दिया। इसी मामले में रोशन विश्वकर्मा को 15 दिन की सिविल जेल भेजने का आदेश पारित किया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन

नवभारत, कटनी। नगरीय विकास आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा कैमोर में जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 15 दिवसीय कौशल तकनीकी कार्य और मीटर रीडिंग संबंधी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जल प्रदाय प्रणाली से संबंधित तकनीकी कार्य, मीटर रीडिंग, संचालन एवं रख-रखाव से जुड़े आवश्यक व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान दिया जा रहा है।

6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नवभारत, कटनी। जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वारदात 7 मार्च को हुई थी अनिल केवट नामक युवक ने बच्ची घर में अकेली पाकर उसे बेर खिलाने का झांसा दिया और उसे घर के पीछे एक सुनसान स्थान पर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने बच्ची के पेट पर दांतों से काटकर उसे गंभीर रूप से जख्म भी कर दिया है। बच्ची ने जब रोते हुए अपने परिवार को पूरी बात बताई, तो परिजन उसे लेकर तत्काल बड़वारा थाने पहुंचे। पुलिस ने तत्काल प्रकरणा दर्ज किया और दबिश देकर आरोपी अनिल केवट को गांव से ही दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। दुष्कर्म की इस वारदात के बाद क्षेत्र के लोगों में आरोपी के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

कार्यालय नगरपालिक निगम, कटनी (म.प्र.)

क्र./238/मुख्य स्टोर/2025-26 | **द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना** | कटनी, दिनांक- 10/03/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु पंजीकृत फर्मो से ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.	टेंण्डर क्रमांक जारी दिनांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_489794_1	ई-लायब्रेरी हेतु फर्नीचर क्रय।	आवश्यकतानुसार	30 दिवस	5000.00 15000.00	27/03/2026

नोटः-निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा तथा निविदाकारों को सभी सामग्री की दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

-वास्ते-
प्राधिकृत अधिकारी
नगर पालिक निगम, कटनी

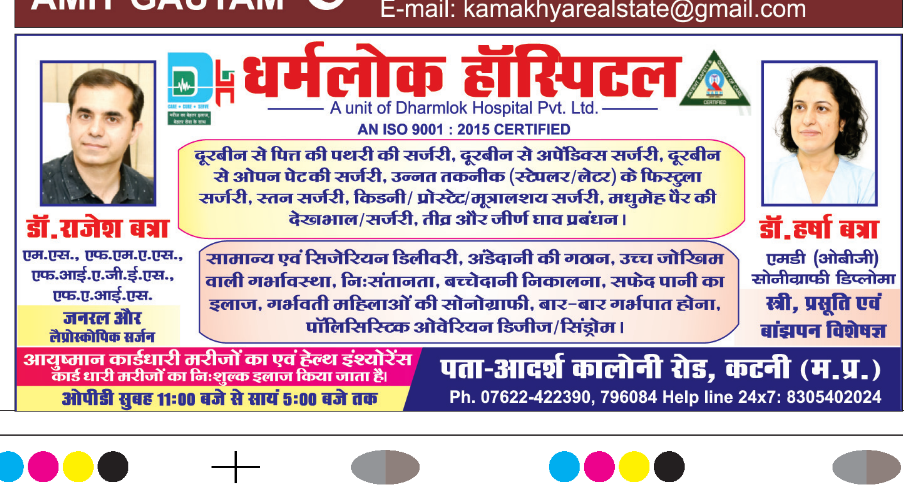

विरोध | सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

टीईटी परीक्षा के विरोध में लामबद्ध हुए कर्मचारी, जमकर की गई नारेबाजी

नवभारत, कटनी। शासकीय शिक्षक संगठन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश सरकार और लोक शिक्षण संचालनालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीईटी परीक्षा आयोजित करने के हालिया आदेश को शिक्षक विरोधी बताते हुए उसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इस आदेश को जारी करने में प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। संगठन का कहना है कि इतने बड़े विषय पर आदेश जारी करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल या सचिवालय स्तर पर कोई सलाह, लिखित अनुमोदन नहीं लिया गया, जो कि शासन की स्थापित नीति के खिलाफ है। शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील (1385/2025) का हवाला दिया जा रहा है, वह एक अशासकीय संस्था से संबंधित मामला है। संगठन ने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश के उन शिक्षकों के लिए जुलाई में परीक्षा कराने का कोई निर्देश दिया है जो पिछले 27 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

संगठन ने कानूनी तर्क देते हुए बताया कि शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1998, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 और राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग नियम 2018 में कहीं भी सेवा के बीच में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त का उल्लेख नहीं था। शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील 2634/2013 का भी हवाला दिया, जिसमें यह आदेश दिया गया है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों और नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ज्ञापन के दौरान शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे, राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय मंत्री रजनीश विश्वकर्मा, संजय अग्रवाल, लकी ग्रोवर, प्रांतीय शिक्षक संघ के देवेन्द्र तिवारी, राज्य शिक्षक संघ कांग्रेस के राकेश रंजन परौहा सहित काफी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति रही।